

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 76/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लेहरी देवी पत्नी रतनलाल जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. दिलीप आत्मज रतनलाल जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मंजु पुत्री रतनलाल जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कमली पुत्री सवाईराम जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सुखी पुत्री सवाईराम जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू आत्मज नोला जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भंवरलाल आत्मज छोगा जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. जयचन्द आत्मज छोगा जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. धन्नी बेवा छोगा जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. जयसिंह आत्मज घीसा जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. सुरजमल आत्मज किशना जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. सोहन आत्मज किशना जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. पारस आत्मज अम्बालाल जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. हुक्मीचन्द आत्मज अम्बालाल जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. जगदीश आत्मज भंवरलाल जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. बालु आत्मज हजारी जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. मगना आत्मज हजारी जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. बद्री आत्मज मांगु जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. देवीलाल आत्मज मांगु जाट निवासी पचातरों का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर -

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.10.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पचातरों का खेड़ा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 702 रकबा 0.13 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 123 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक राजस्व खाता संख्या 123 की साथ प्रस्तुत है। इसी प्रकार ग्राम पचातरों का खेड़ा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 703 रकबा 0.33 है।

भूमि राजस्व खाता संख्या 99 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14 को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 27.07.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी करवाने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 21.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम पचातरों का खेड़ा पटवार हल्का पालरा के बेरुन हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 702 रकबा 0.13 हैक्ट. आराजी संख्या 703 रकबा 0.33 हैक्टण भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/- अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)